| | |
|---|---|
| | उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग<br>आयोग भवन, हरिद्वार– 249404 |

# शुद्धि– पत्र

(मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में सहायक समीक्षा अधिकारी/अनुवादक/टाईपिस्ट/असिस्टेंट लाइब्रेरियन परीक्षा–2018)

संख्या :: 62/10/ई–3/H.C.S./2017–18 दिनांक: 04 अक्टूबर, 2019

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में सहायक समीक्षा अधिकारी/अनुवादक/टाईपिस्ट/असिस्टेंट लाइब्रेरियन परीक्षा–2018 के अंतर्गत सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन संख्या:: 01/विज्ञापन/ई–3/2018–19 दिनांक 10 दिसंबर, 2018 को प्रकाशित किया गया था। शासन द्वारा, सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण को लागू करते हुए विज्ञापित पदों में आरक्षित पदों की संख्या में परिवर्तन किया गया है तथा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए भारत के नागरिकों से आवेदन स्वीकार किए जाने संबंधी प्राविधान रखा गया है। उक्त के दृष्टिगत विज्ञापन संख्या:: 01/विज्ञापन/ई–3/2018–19 दिनांक 10 दिसंबर, 2018 का शुद्धि–पत्र प्रकाशित करते हुए, निम्नलिखित संशोधित विवरण के अनुसार भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:–

| क्र. सं. | पद का नाम | आरक्षण श्रेणी | रिक्त पद | क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | महिला | पूर्व सैनिक | विकलांग | स्व0स0 सेनानी आश्रित |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| 01 | सहायक समीक्षा अधिकारी | अनारक्षित | 29 | 09 | 01 | 01 | – |
| | | अन्य पिछड़ा वर्ग | 09 | 03 | – | – | – |
| | | अनु0 जनजाति | 02 | 01 | – | – | – |
| | | अनुसूचित जाति | 10 | 03 | 01 | – | – |
| | | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 06 | 02 | – | – | – |
| | | **योग** | **56** | **18** | **02** | **01** | – |
| 02 | अनुवादक | अनारक्षित | 03 | 01 | – | – | – |
| | | अन्य पिछड़ा वर्ग | 01 | – | – | – | – |
| | | अनु0 जनजाति | 00 | – | – | – | – |
| | | अनुसूचित जाति | 01 | – | – | – | – |
| | | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 01 | – | – | – | – |
| | | **योग** | **06** | **01** | – | – | – |
| 03 | टाईपिस्ट | अनारक्षित | 00 | – | – | – | – |
| | | अन्य पिछड़ा वर्ग | 01 | – | – | – | – |
| | | अनु0 जनजाति | 00 | – | – | – | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुसूचित जाति | 01 | – | – | – | – |
| | | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 00 | – | – | – | – |
| | | **योग** | **02** | – | – | – | – |
| 04 | असिस्टेंट लाइब्रेरियन | अनारक्षित | 01 | – | – | – | – |
| | | अन्य पिछड़ा वर्ग | 00 | – | – | – | – |
| | | अनु0 जनजाति | 00 | – | – | – | – |
| | | अनुसूचित जाति | 00 | – | – | – | – |
| | | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 00 | – | – | – | – |
| | | **योग** | **01** | – | – | – | – |
| कुल योग– | | | **65** | **19** | **02** | **01** | **00** |

1. भारत के नागरिक, जो प्रश्नगत पदों हेतु पात्र हों, विज्ञापन संख्या :: 01/विज्ञापन/ई–3/2018–19 दिनांक 10 दिसंबर, 2018 का आयोग की वेबसाईट www.ukpsc.gov.in पर भलीभांति अवलोकन करने के पश्चात, वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन हेतु प्रदत्त लिंक का प्रयोग करते हुए प्रश्नगत परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। **ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 30.10.2019 है।**
2. ऑनलाईन आवेदन के पश्चात नियमानुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क ("आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" श्रेणी हेतु रू0 150/– तथा प्रोसेसिंग शुल्क रू0 35.40/– सहित कुल रू0 185.40/– तथा अन्य श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु विज्ञापन दिनांक 10 दिसंबर, 2018 के अनुसार) Net Banking/Debit Card/Credit Card द्वारा जमा करना अनिवार्य है। **परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 30.10.2019 है।**
3. अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या :: 01/विज्ञापन/ई–3/2018–19 दिनांक 10 दिसंबर, 2018 के माध्यम से प्रश्नगत परीक्षा हेतु पूर्व में ही ऑनलाईन आवेदन किया जा चुका है, किन्तु "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" श्रेणी से आच्छादित होने के कारण, इस श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन्हें पूर्ववर्ती आवेदन में ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग'' श्रेणी को चुनने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। **ऑनलाईन आवेदन में "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" श्रेणी को चुनने की अन्तिम तिथि 30.10.2019 है।**

   उक्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट www.ukpsc.gov.in पर प्रदत्त लिंक का प्रयोग करते हुए, पूर्व में भरे गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग'' श्रेणी का चयन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में, पूर्व में दावित श्रेणी तद्नुसार परिवर्तित हो जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग'' श्रेणी के अन्तर्गत विचारित किया जाएगा। इस प्रक्रिया में अभ्यर्थी को पृथक से परीक्षा शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

   ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग'' श्रेणी का चयन करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाईन आवेदन पत्र में उपरोक्तानुसार किया गया श्रेणी परिवर्तन, आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट में अभी परिलक्षित नहीं होगा। अतः ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग'' श्रेणी का चयन करने वाले अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट अन्तिम तिथि समाप्त हो जाने के पश्चात निकालें।
4. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग'' श्रेणी का दावा सम्यक् रूप से विचारण के पश्चात यह सुनिश्चित हो जाने पर ही करें कि वह शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05.02.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी

के अन्तर्गत आते हैं तथा **ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 30.10.2019** तक शासनादेश सं0–123/XXX(2)/2019–30(1)/2019 दिनांक 29.04.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र धारित करते हों।

5. **उक्त अधिसूचना के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा।** इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या:: 01/विज्ञापन/ई–3/2018–19 दिनांक 10 दिसंबर, 2018 में उल्लिखित अधिकतम आयुसीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।
6. शेष अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या:: 01/विज्ञापन/ई–3/2018–19 दिनांक 10 दिसंबर, 2018 के माध्यम से प्रश्नगत परीक्षा हेतु पूर्व में ही ऑनलाईन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन नहीं करना है।
7. मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में सहायक समीक्षा अधिकारी/अनुवादक/टाईपिस्ट/असिस्टेंट लाइब्रेरियन परीक्षा–2018 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या:: 01/विज्ञापन/ई–3/2018–19 दिनांक 10 दिसंबर, 2018 में आरक्षित पदों की संख्या में परिवर्तन एवं सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त किए जाने के अतिरिक्त विज्ञापन की शेष समस्त शर्तें यथावत रहेंगी।
8. प्रश्नगत विज्ञापन में सहायक समीक्षा अधिकारी, अनुवादक, सहायक लाईब्रेरियन पद हेतु चिह्नित दिव्यांग श्रेणी OL, BL, OA तथा टाईपिस्ट पद हेतु OL, BL है। पूर्व विज्ञापन में उक्त दिव्यांग श्रेणी के अतिरिक्त अन्य दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निरस्त समझे जायेंगे।
9. प्रश्नगत विज्ञापन में विज्ञापित सहायक लाईब्रेरियन पद पर चयन की कार्यवाही मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित **S.L.P. OF 10023 of 2019** श्री मनमोहन त्रिपाठी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग व अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगी।
10. **विज्ञापन के प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत चयन में प्रारम्भिक परीक्षा माह दिसम्बर 2019 के अन्तिम सप्ताह में प्रस्तावित है।**

-SD-

(राजेन्द्र कुमार)
सचिव